

A2  
2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर  
कैम्प न्यायालय - गांव दुल्लापुरकेरी  
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती रीना छीम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2018/135/

दिनांक 29 जून, 2018

॥ आदेश ॥

आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेख में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, राजस्व पटवारी दुल्लापुरकेरी, भूअ.निरीक्षण हिन्दूमलकोट की रिपोर्ट तथा हसीलदार, श्रीगंगानगर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 4 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2068-2071 के खाता संख्या 30 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्विती के आदेश दिये जाते हैं-

क.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जानी है)
1	4 डी बड़ी	30	सुच्चासिंह पुत्र बचनसिंह, रहन एस. बी.बी.जे. शाखा- कालियां	सन्तोखसिंह पुत्र बचनसिंह, रहन एस. बी.आई शाखा- कालियां

*R. J.*

(श्रीमती रीना छीम्पा)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत एवं  
सहायक कलक्टर (F.T.), श्रीगंगानगर

क्रमांक रा.लो.अ./कैम्प/2018/1554  
प्रतिलिपि-

दिनांक 29 जून, 2018

1. तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में क्रियान्विती की जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें.
2. आवेदक श्री सन्तोखसिंह पुत्र बचनसिंह को सूचनार्थ.

*R. J.*

(श्रीमती रीना छीम्पा)  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत एवं  
सहायक कलक्टर (F.T.), श्रीगंगानगर